मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ. 9-6-2011-नियम-चार भोपाल, दिनांक 23-11-2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश.

विषय.—सेवानिवृत्ति पर शासकीय वसूलियों के संबंध में

शासन के ध्यान में यह आया है कि सेवानिवृत्ति पर शासकीय वसूलियों के संबंध में कतिपय विभागों/विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 25/93/2001/चार/पी. डब्ल्यू. सी. दिनांक 28-7-2001 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है.

2. उपर्युक्त परिपत्र में वर्णित निम्नांकित निर्देशों को पुनः आपके ध्यान में लाया जाकर इन निर्देशों को समस्त अधीनस्थों के संज्ञान में लाकर कड़ाई से पालन कराये जाने का अनुरोध है :—

(1) कार्यालय प्रमुखों को संबंधित शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व वसूली योग्य राशियों का निर्धारण कर लेना चाहिये एवं वसूलियाँ सेवानिवृत्ति के पूर्व तक पूरी हो जाना चाहिए. यदि किसी कारण से कोई वसूलीयोग्य राशि अवशेष रहती है तो संबंधित को उसकी सेवानिवृत्ति पर देय अन्य भुगतान जैसे अर्जित अवकाश समर्पण/नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान या शासकीय सेवक की सहमति से परिवार कल्याण निधि/समूह बीमा राशि की बचत की जमा राशि आदि से ऐसी समस्त वसूलियां की जानी चाहिए.

(2) सेवा निवृत्ति के उपरांत शासकीय राशि की वसूली पेन्शन पर देय राहत से ही की जाती है. अतः इस प्रकार के समस्त वसूली योग्य राशि सेवानिवृत्ति पर देय मूल पेन्शन की 30 माह की राशि तक ही सीमित रहेगी. यदि इससे अधिक की वसूलियाँ पेन्शनर पर बनती है तो प्रशासकीय विभाग ऐसी वसूलियों के लिये पृथक से सिविल वाद दर्ज करवाएँ या अन्य विभागीय माध्यमों से इस राशि की वसूली करने की कार्यवाही करें.

(3) ऐसे प्रकरणों में जहां 30 माह की मूल पेंशन से अधिक राशि वसूली योग्य होते हुए भी अर्जित अवकाश समर्पण/नगदीकरण, प्रत्याशित उपदान आदि की राशि का भुगतान कर दिया गया हो, वहां 30 माह की मूल पेंशन से अधिक वसूली की समस्त राशि 15 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित संबंधित कार्यालय प्रमुख से भी वसूली योग्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
हस्ता/-
(एस. एन. मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.